रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 239] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 21, 1971/आग्रहायण 30, 1893

No. 239] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 1971/AGRAHAYANA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

... CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December 1971

G.S.R. 1956.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Kerala and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulation further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Amendment Regulations, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, for the entry at Serial No. 3 in column 3 relating to the State of Kerala, the following shall be substituted, namely:—

"Third member, Board of Revenue".

[No. 12/33/71-AIS(I).]

ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली 21 दिसम्बर 1971

अधिसूचना

जी० एस० आर० 1958—भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल राज्य सरकार और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात्:—

1. (1) ये विनियम भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 की अनुसूची में केरल राज्य के संबंध में कालम 3 में संख्या 3 पर वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्

"राजस्व बोर्ड का तीसरा सदस्य"

[सं० 12/33/71-ए० आई० एस० (I)]

(अन्ना आर० जार्ज)
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENENRAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971